भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2109

दिनांक 13/12/2024

कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) और कृषि अनुसंधान संस्थानों को जोड़ना

2109. **श्री एस. निरंजन रेड्डी :**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना की गई है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ किस प्रकार जोड़ा जा रहा है और क्या वे किसानों को प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम अनुसंधान का उपयोग कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों तक अपनी पहुंच और सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों का समेकन कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : देश में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की कुल संख्या 731 है। इनका राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध - I** में दिया गया है।

(ख) : कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और संबंधित मेजबान संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस ज्ञापन के अनुसार, परिषद (प्रथम पक्ष) कृषि विज्ञान केंद्र योजना के तहत अनुमोदित सहायता के पैटर्न के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र की परियोजना के लिए अनुदान देगी, जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए कार्मिक और बजटीय सीमाओं के अधीन होगा। सहायता प्रदान की जाने वाली मदों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(i) अधिदेश के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न विषयों (कृषि विस्तार, सस्य विज्ञान, पादप प्रजनन, पशुधन उत्पादन, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मात्स्यिकी, कृषि वानिकी, मृदा विज्ञान और पादप संरक्षण) में सक्षम वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायता ;

(ii) योजना को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक संतुलित (मोडेस्ट) कार्यालयी कर्मचारी के वेतन के लिए सहायता;

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर केवीके के लिए निर्धारित की गई उपयुक्त सहायता के पैटर्न के आधार पर अनुमोदित आवर्ती और गैर-आवर्ती मदों की लागत ;

(iv) परिषद फार्मों, कार्यशालाओं (वर्कशॉप), बगीचों, फार्म पशुओं, पक्षियों, तालाबों इत्यादि के रखरखाव और इनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए पांच वर्ष के बाद प्रतिदेय परिक्रामी निधि के रूप में एकमुश्त सहायता देने पर भी विचार कर सकती है, जिसका कि परिषद की परिक्रामी निधि योजना के नियमों ओर मार्ग निर्देशों के अनुसार सख्ती से पालन किया जाता है। ।

(v) आईसीएआर द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित कार्यशालाओं, सेमिनारों, परिसंवादों और बैठकों के आयोजन और इनमें भागीदारी हेतु तथा ;

(vi) परिषद द्वारा यथा अनुमोदित प्रगति रिपोर्टों और अन्य साहित्य के प्रकाशन पर खर्च।

(ग) : आईसीएआर के अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों से विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे ऑन-फार्म परीक्षण, अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों के खेतों पर संचालित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के वैज्ञानिकों/विषय-वस्तु के विशेषज्ञों को कृषि विश्वविद्यालयों (एयू)/आईसीएआर संस्थानों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(घ) : आईसीएआर ने किसानों और वैज्ञानिकों के बीच इंटरफेस के लिए आईसीटी आधारित प्लेटफार्म किसान सारथी बनाया है, ताकि किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों, ज्ञान आधार और बड़ी संख्या में विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ निरंतर मल्टीमीडिया, बहु-मार्गीय संपर्क प्रदान किया जा सके। अब तक देश भर में 3.15 लाख से अधिक गांवों के 2.31 करोड़ किसान 'किसान सारथी' के साथ पंजीकृत हैं। किसानों से दो लाख से अधिक कॉल प्राप्त करने के अलावा, किसान सारथी प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा पंजीकृत किसानों को एसएमएस के रूप में लगभग 5.36 करोड़ परामर्श (एडवाइजरी) भेजे गए हैं।

****

अनुबंध- I

{राज्य सभा के दिनांक 13.12.2024 के अतारांकित प्रश्न सं. 2109 का भाग (क)}

कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य- क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	24
3.	अरूणाचल प्रदेश	17
4.	असम	26
5.	बिहार	44
6.	छत्तीसगढ़	28
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	30
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	13
12.	जम्मू एवं कश्मीर	20
13.	झारखंड	24
14.	कर्नाटक	33
15.	केरल	14
16.	लद्दाख	4
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	54
19.	महाराष्ट्र	50
20.	मणिपुर	9
21.	मेघालय	7
22.	मिजोरम	8
23.	नागालैंड	11
24.	ओडिशा	33
25.	पुदुचेरी	3
26.	पंजाब	22
27.	राजस्थान	47
28.	सिक्किम	4
29.	तमिलनाडु	32
30.	तेलांगाना	16
31.	त्रिपुरा	8
32.	उत्तराखंड	13
33.	उत्तर प्रदेश	89
34.	पश्चिम बंगाल	23
कुल		**731**

****